संख्या– ए–1–228/दस–2012–10(17)/97

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1

लखनऊ, दिनांक: 29 मई, 2012

विषय :– प्रथम श्रेणी एवं स्वयं के आहरण वितरण अधिकारियों के वेतन से आयकर की नियमानुसार अग्रिम कटौती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा–192 में वेतन के स्त्रोत से होने वाली आय पर आयकर कटौती की विस्तृत योजना दी गयी है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भी प्रतिवर्ष आहरण वितरण अधिकारियों को वेतन से स्त्रोत पर आयकर की कटौती हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

इन निर्देशों के अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष की आय की गणना करते हुये एवं अनुमन्य छूट उपलब्ध कराते हुये आयकर की गणना समस्त अधिभार एवं education Cess सहित की जायेगी एवं इस प्रकार पूरे वर्ष हेतु आगणित आयकर को Equal installment में बॉटते हुए प्रत्येक माह के वेतन से बराबर बराबर स्त्रोत पर कर की कटौती की जायेगी। समय समय पर आय में वृद्धि/कमी होने की स्थिति में बढने/घटने वाले आयकर का समायोजन आगामी माहों में किया जा सकेगा।

शासन के संज्ञान में यह आया है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2– अतः इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वे कृपया आयकर अधिनियम–192 में विहित उपरोक्त व्यवस्थानुसार पूरे वित्तीय वर्ष का Tax आगणित किये जाने एवं आगणित Tax के अनुसार Equal installment में मासिक कटौती सुनिश्चित की जाये। मासिक कटौती करने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायें।

स्वयं आहरण वितरण अधिकारियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार मासिक कटौती करने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी का होगा।

भवदीय,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या ए–1–228(1)/दस–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी0एल0सी0 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।